

तारीख  
हुक्म

03 10 2025

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह शियाम उपस्थित।  
विप्रार्थीगण नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या  
01 से 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लाई जा चुकी है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व  
रेकर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि  
के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड  
खातेदार हैं और रिकार्डड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी  
करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता  
द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि  
विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व में हो रखी हो। ऐसी सूरत में  
नेखमबन्दी करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है।  
अतः उक्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करने के बाद नेखमबन्दी किये जाने में  
कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की  
मौजा रतनुओं की ज़ापी, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा  
नम्बर 720, 721 एकबा क्रमशः 0.0890, 29.0229 हैक्टैयर विवादित भूमि के संबंध  
में पूर्व सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा  
नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों  
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू-अगिलेख  
निरीक्षक भीशाङ्क को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही  
प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जारी नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक  
निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके  
पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमत्तद प्राप्त  
करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अगिलेख निरीक्षक भीशाङ्क बाद  
पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहसीर जारी हो।

पत्रावली फौरान सुमार होकर तालिल दफ्तर हो।

उपस्थित अधिवक्ता  
उपस्थित (बाह्य)

